Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–208 / 2024

श्री बहादुर सिंह,
ग्राम– डोल, मसानखाल,
शहरफाटक,
जिला– अल्मोडा। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा। — प्रतिवादी

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर28424404828 के सापेक्ष बिना रीडिंग लिए बिल निर्गत किये गये हैं जिनका भुगतान उन्होंने ससमय किया है। उन्होंने बताया कि 6 महिने पहले मीटर रीडर ने बताया कि मीटर रीडिंग 4000 पर 16000.00रू0 का बिल आया है। उन्होने बिल को ठीक करने के लिये निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 711 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 26.12.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। उन्होने बताया कि वादी के बिल रीडिंग आधारित निर्गत किये गये हैं। उन्होने बताया कि अगर वादी मीटर को चेक कराना चाहते है तो वह रु0118 मीटर टेस्टिंग फीस के रुप में जमा कर सकते है। वादी का पक्ष जानने के लिये अगली सुनवायी तिथि 13.01.2025 नियत की गई थी।

17/3/25

3.मंच की अगली सुनवायी तिथि दिनांक 13.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ। विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि वादी का बिल ठीक है और देय है ।अगली सुनवायी तिथि 27.01.2025 नियत की गई थी।

4. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 27.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर ने बताया कि वादी का बिल बिल ठीक है और देय है और अगर वादी मीटर को चेक कराना चाहते है तो वह रु0118 जमा कर चेक मीटर के लिये आवेदन कर सकते है वादी को अंतिम अवसर देते हुए उसका पक्ष जानने के लिये अगली सुनवायी तिथि 27.02.2025 नियत की गई थी।

5. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि वादी का बिल सही और मीटर आधारित निर्गत किये गये है। उन्होंने कहा कि अगर वादी मीटर को चेक कराना चाहते है तो वह रु0118 मीटर चैकिंग शुल्क के रूप में जमा करा सकते है

आदेश

विभाग ने बताया कि वादी के बिल रीडिंग आधारित निर्गत किये गये है। जो सही हैं और देय हैं। उन्होने बताया कि अगर वादी मीटर को चेक कराना चाहते है तो वह रु0118 मीटर टेस्टिंग फीस के रुप में जमा कर सकते है। वादी को कहा जाता है कि अगर वह मीटर को चेक कराना चाहते है तो वह रु0118 मीटर टेस्टिंग फीस के रुप में जमा कर सकते है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

<u>दिनांक – 17.03.2025</u>

ओ0पी0 दीक्षित सदस्य तकनीकी	बी0 एस0 बिष्ट सदस्य उपभोक्ता	चामू सिंह गस्याल सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–209 / 2024–25

श्री जीवन लाल पुत्र श्री भाव राम,
ग्राम– तलाड, स्यालीधार,
जिला– अल्मोडा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा। प्रतिवादी

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या ए.आर. 1151140149 के सापेक्ष विद्युत बिल एक मुश्त दिया गया है जो कि उपभोग से अधिक है। उन्होंने बिल को ठीक कर किश्तों में जमा करने के लिए निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 723 दिनांक 01.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 13.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी का अध्यतन बिल, दिसम्बर 2024 तक, रू0 17463.00 का है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई तिथि 27.01.2025 नियत की गई थी।

3. मंच की सुनवाई दिनांक 27.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान, एईआर ने बताया कि वादी का बिल ठीक है,और देय है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई तिथि 27.02.2025 नियत की गई थी।

वाद सं० 203/2024-25

4. मंच की सुनवाई दिनांक 27.02.2025 में वादी की तरफ से श्री नीरज कुमार पुत्र श्री जीवन लाल,वादी तथा विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी, कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि विभाग की तरफ से बिजली काटने की धमकी के दृष्टिगत उन्होंने रू0 18855.00 जमा कर दिया है, लेकिन वह बिल में संशोधन चाहते हैं, जिसमें ब्याज भी वादी से ना लिया जाए। विभाग की तरफ से श्री जोशी ने बताया कि वादी का बिल सही है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक–01.01.2020 से वादी के संयोजन का स्टेटमैंट ऑफ एकाउन्ट के साथ बिलिंग हिस्ट्री तथा एलपीएस0 की राशि के साथ विस्तृत आख्या मंच के समक्ष 7 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई तिथि 17.03.2025 नियत की गई थी।

5. मंच की अन्तिम सुनवाई आज दिनांक 17.03.2025 में विभाग द्वारा बिलिंग हिस्ट्री प्रस्तुत की गई। वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी, कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि वादी का बिल सही है जिसे स्वीकारते हुए वादी ने रू0 18550.00 जमा भी करा दिये हैं, और अब कोई देय वर्तमान में लंबित नहीं है।

आदेश

1. विभाग द्वारा बताया गया है वादी को सही बिल निर्गत किये गये हैं जिसको स्वीकारते हुए वादी ने रू0 18550.00 जमा भी करा दिये हैं, और अब कोई देय वर्तमान में लंबित नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 17.03.2025

ओ0पी0 दीक्षित 17/3/25
सदस्य तकनीकी

बी0 एस0 बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता

चामू सिंह गर्ब्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–210 / 2024

श्री हर सिंह गुसाई — वादी
ग्राम–मल्ली कन्हौणी,पो0ऑ0–पीपलखाल
स्याल्दे,
जिला– अल्मोडा।

बनाम

अधिशासी अभियंता, — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा।

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके मकान के आगे आंगन में एक डोमेस्टिक विद्युत पोल लगा हुआ है तथा वर्तमान यह लटक गया है जिससे तारें काफी नीचे होने से सिर पर टकराने की स्थिति में है जिससे काफी खतरा पैदा हो गया है। वादी ने विद्युत पोल को ठीक करवाने के लिये निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 725 दिनांक 01.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिकियासैंण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 13.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ। विभाग की तरफ से श्री गौतम कुमार ए.ई.आर. उपस्थित हुए। वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके मकान के आगे आंगन में विद्युत पोल झुक गया है जिससे तारे लटककर सिर पर टकराने की स्थिति में है।
विभाग को निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त परिसर का निरीक्षण कर और पोल एंव तारों को ठीक कर सात दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 27.01.2025 नियत की गई थी।

3. मंच की अंतिम सुनवायी तिथि दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ। विभाग ने पिछली सुनवायी तिथि दिनांक–27.01.2025 में बताया था कि वादी के आंगन में लगे पोल को स्टे वायर लगाकर सीधा कर दिया गया है। उन्होने बताया की वादी द्वारा पोल के ठीक पास टॉयलेट का नवनिर्माण किया जा रहा है। अगर वादी पोल को शिफ्ट कराना चाहते है तो वह लिखित में शिफ्टिंग के लिये आवेदन करें। तत्पश्चात् शिफ्टिंग हेतु प्राकलन राशि जमा करने के पश्चात् तथा वादी द्वारा स्पष्ट आर. ओ. डब्लू. देने पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

आदेश

विभाग द्वारा वादी के आंगन में लगे पोल को स्टे वायर लगाकर सीधा कर दिया गया है। उन्होने बताया की वादी द्वारा पोल के ठीक पास टॉयलेट का नवनिर्माण किया जा रहा है। अगर वादी पोल को शिफ्ट कराना चाहते है तो वह लिखित में शिफ्टिंग के लिये आवेदन करें। तत्पश्चात् शिफ्टिंग हेतु प्राकलन राशि जमा करने के पश्चात् तथा वादी द्वारा स्पष्ट आर. ओ. डब्लू. देने पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 17.03.2025

ओ0पी0 दीक्षित	बी0 एस0 बिष्ट	चामू सिंह मर्स्याल
सदस्य तकनीकी	सदस्य उपभोक्ता	सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1—चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2—ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3—भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या—217 / 2024—25

श्री हरेन्द्र सिंह, वादी
ग्राम—चौडा, पो0ऑ0—भैंसणगॉव,
जिला—अल्मोडा।

बनाम

अधिशासी अभियंता, प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा।

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर05256989760 के सापेक्ष जनवरी 2024 तक नियमित रूप से बिल निर्गत किये गये, लेकिन जनवरी 2024 के पश्चात् बार—बार शिकायत करने पर भी बिल प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 में विभाग द्वारा रू0 37302.00 का बिल भेजा गया है जो कि गलत और मनमाना है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 755 दिनांक 22.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.01.2025 में वादी की तरफ से श्री हरेन्द्र सिंह तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री तुषार चौहान, एईआर उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर05256989760 के सापेक्ष जनवरी 2024 तक नियमित रूप से बिल निर्गत किये गये, लेकिन जनवरी 2024 के पश्चात् बार—बार शिकायत करने पर भी बिल प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 में विभाग द्वारा रू0 37302.00 का बिल भेजा गया है जो कि गलत और मनमाना है। विभाग ने बताया कि मीटर रीडर के द्वारा रीडिंग ना लेने की वजह से ये गलती हुई है जिसमें विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह संबंधित मीटर रीडर तथा बिलिंग सुपरवाइजर के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

2 .मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 26.03.2025 में वादी की तरफ से श्री हरेन्द्र सिंह तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री तुषार चौहान, एईआर उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी को दिनांक–24.02.2025 को रू0 47853.00 का बिल निर्गत किया गया था जिसके सापेक्ष वादी द्वारा रू0 43500.00 जमा करा दिये गये हैं तथा अद्ययतन दिनांक–20.03.2025 तक रू0 6732.00 का बिल लम्बित है। वादी ने बताया कि उन्होंने 6 दिन पहले रू0 43500.00 जमा किये हैं। अतः वह 6732.00 रू0 का बिल एक मुश्त जमा नहीं कर पायेंगें। उन्होंने इस बिल को करंट बिल के साथ 3 समान किश्तों में भुगतान करने का निवेदन किया है जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है। विभाग ने बताया कि विगत में 5 किलोवॉट से ऊपर के उपभोक्ताओं (चक्की) की रीडिंग विभाग के जेई स्तर पर ली जाती रही है जिसको भविष्य में ऐसी गलती ना करने के लिए चेतावनी दे दी गई है।

आदेश

यह प्रकरण लम्बी अवधि तक रीडिंग ना लेने से संबंधित है जिसमें वादी ने 43500.00 रू0 जमा करा दिये है तथा अद्ययतन दिनांक–20.03.2025 तक रू0 6732.00 का बिल लम्बित है। वादी ने बताया कि उन्होंने 6 दिन पहले रू0 43500.00 जमा किये हैं। अतः वह 6732.00 रू0 का बिल एक मुश्त जमा नहीं कर पायेंगें। उन्होंने इस बिल को करंट बिल के साथ 3 समान किश्तों में भुगतान करने का निवेदन किया है जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह करंट बिल के साथ लंबित बिल रू0 6732.00 को समान 3 किश्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान करे। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह उपभोक्तओं को नियमित रूप से बिल निर्गत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 26.03.2025

ओ0पी0 दीक्षित	बी0 एस0 बिष्ट	चामू सिंह मर्स्याल
सदस्य तकनीकी	सदस्य उपभोक्ता	सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–218 / 2024–25

श्री कृपाल राम,
ग्राम– जैनोली, पिलखोली,
रानीखेत, जिला– अल्मोडा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा।

प्रतिवादी

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या आरएन1बी131901386 के सापेक्ष 9411 रीडिंग दर्शाते हुए रु.22977 का बिल भेजा गया है जबकि एक सप्ताह में रीडिंग का आकलन करने पर उनका बिल रु.5500 से रु.6000 के मध्य होना चाहिए। उन्होने बिल को ठीक करने के लिये निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 756 दिनांक 22.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.02.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ। विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। उन्होने बताया कि वादी का बिल रु 22977 रीडिंग आधारित और सही है। विभाग को निर्देशित किया गया था किवह डंप रीडिंग को संबंधित अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ स्लैब का लाभ देते हुए संशोधित बिल मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

3.मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से श्री कृपाल राम तथा विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान, एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि यह प्रकरण डंप रिडिंग से संबंधित है जिसमें रु. 7585.73 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रु. 16093.27 का बना है जो सही है और देय है। वादी ने बताया कि वह इतना बिल एकमुश्त जमा नहीं कर सकते।

17/3/25

उन्होने अनुरोध किया है कि वह करेंट बिल के साथ उपरोक्त बिल को चार समान किश्तों में जमा करना चाहते है जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है।

आदेश

विभाग द्वारा डंप रीडिंग का बिल संशोधित कर दिया गया है जिसमें रु. 7585.73 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रु. 16093.27 का बना है जो सही है और देय है। वादी ने बताया कि वह इतना बिल एकमुश्त जमा नहीं कर सकते। उन्होने अनुरोध किया है कि वह करेंट बिल के साथ उपरोक्त बिल को चार समान किश्तों में जमा करना चाहते है जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह संशोधित बिल को समान चार किश्तों मे, करेंट बिल के साथ, भुगतान करने की सुविधा प्रदान करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 17.03.2025

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

बी0 एस0 बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता

चामू सिंह पस्योला
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–220 / 2025

श्री भगवन्त सिंह,
ग्राम– दियारी, पो0ऑ0– धौलछीना,
जिला– अल्मोड़ा। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– अल्मोडा। — प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या ए.आर. 11315903808 के सापेक्ष उनका बिल आर.डी.एफ. के आधार पर निर्गत हुआ है जिसको भरने में वह असमर्थ हैं। उन्होंने बिल ठीक कराने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 772 दिनांक 30.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.02.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि वादी का बिल रू0 4648.00 आर.डी.एफ. के आधार पर निर्गत हुआ था जिसे संशोधित कर दिया गया है जो कि संशोधित होकर वर्तमान में रू0 1050.00 बना है।
वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई तिथि 17.03.2025 नियत की गई थी।

3. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय ने मंच की सुनवाई तिथि दिनांक– 27.02.2025 में बताया था कि वादी का बिल रू0 4648.00, आर.डी.एफ. के आधार पर निर्गत हुआ था जिसे संशोधित कर दिया गया है जो कि संशोधित होकर वर्तमान में रू0 1050.00 बना है।

वाद नं० 220/2024-25

आदेश

विभाग द्वारा वादी का बिल, आर.डी.एफ. से रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है और संशोधित बिल वर्तमान में रू0 1050.00 बना है जो सही है और देय है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 17.03.2025

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

बी0 एस0 बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता

चामू सिंह गर्स्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–221 / 2025

श्री दीवान सिंह,
ग्राम– दियारी, पो0ऑ0– धौलछीना,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– अल्मोडा।

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या ए.आर.11315420884 के सापेक्ष उनका बिल आर.डी.एफ. के आधार पर निर्गत हुआ है जिसको भरने में वह असमर्थ हैं। उन्होंने बिल ठीक कराने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 773 दिनांक 30.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.02.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि वादी का बिल रू0 6037.00 आर.डी.एफ. के आधार पर निर्गत हुआ था जिसे संशोधित कर दिया गया है जो कि संशोधित होकर वर्तमान में रू0 2801.00 बना है।
वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई तिथि 17.03.2025 नियत की गई थी।

3. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग द्वारा आर.डी.एफ. का बिल संशोधित कर दिया गया है जो कि संशोधित होकर वर्तमान में रू0 2801.00 बना है जो सही है और देय है।

परिवाद संख्या–221/2025

आदेश

विभाग द्वारा वादी का बिल, आर.डी.एफ. से रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है और संशोधित बिल वर्तमान में रू0 2801.00 बना है जो सही है और देय है। वादी को कहा जाता है कि वह संशोधित बिल को 10 दिन के अंदर जमा करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 17.03.2025

ओ0पी0 दीक्षित	बी0 एस0 बिष्ट	चामू सिंह गर्ब्याल
सदस्य तकनीकी	सदस्य उपभोक्ता	सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–224/2024–25

श्री विक्की मेहरा,
ग्राम– जैनोली, पिलखोली,
रानीखेत, जिला– अल्मोडा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा।

प्रतिवादी

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या ए.आर.6बी106039686 के सापेक्ष पिछले माह का बिल रु.321 आया था जिसकी रीडिंग 8811 थी। उन्होने बताया कि इस समय उनका बिल 11613 रीडिंग तक रु. 20486 आया है जो बहुत अधिक है। उन्होने बिल को ठीक करने के लिये निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 781 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.02.2025 में वादी की तरफ से श्री विक्की मेहरा तथा विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि विगत में उनका बिल रु.400–800 के आसपास आता था जो एकाएक बढ़कर रु. 20486 आया है और पिछली रिडिग 8811 से बढ़कर 11613 रिडिंग आयी है जो कि गलत है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर की एम.आर.आई. कर विस्तृत आख्या 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी ने कहा था कि वह अगली सुनवायी V/C के माध्यम से करना चाहते है जिसका फोन न0 9870480954 है जिस पर मंच ने सहमती व्यक्त की है। अगली सुनवाई तिथि 17.03.2025 को 1.30 pm V/C के माध्यम से नियत की गई थी।

3.मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से श्री विक्की मेहरा तथा विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान, एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि यह प्रकरण डंप रिडिंग से संबंधित है जिसमें रु. 11728.68 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रु. 8757.32 का बना है जो सही है और देय है। वादी ने कहा कि वह इस बिल को एकमुश्त जमा कर देगें।

आदेश

विभाग द्वारा डंप रीडिंग का बिल संशोधित कर दिया गया है जिसमें रु.11728.68 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रु. 8757.32 का बना है जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है और कहा है कि वह इस बिल को 10 के अंदर एकमुश्त जमा कर देगें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 17.03.2025

17/3/25

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

बी0 एस0 बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–229 / 2024–25

श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट,
ग्राम– कल्टानी, पो0ऑ0–जलना,
जिला– अल्मोडा। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा। — प्रतिवादी

1.वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर12153909250 के सापेक्ष दिनांक–18.12.2024 में मीटर में आग लग थी जिसकी केबल लाईन मैन द्वारा बदली गई। उन्होंने बताया कि दिनांक 20.12.2024 में एसडीओ0 द्वारा निरिक्षण करने पर उन पर 450000.00रू0 का जुर्माना लगाया गया जो कि अत्यधिक हैं। उन्होंने जुर्माने को कम करने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 804 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

1. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी, का0सहा0 द्वितीय ने बताया कि वादी द्वारा पुनः राजस्व निर्धारण रू0 209882.00 दिनांक– 12.03.2025 को जमा करा दिया गया है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई की तिथि 26.03. 2025 को नियत की गई थी।

2 .मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 26.03.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान, एईआर0 ने बताया कि वादी द्वारा राजस्व निर्धारण रू0 209882.00 जमा करा दिया गया है और अब प्रकरण में आगे की कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

परिवाद संख्या–229 / 2024–25

आदेश

यह प्रकरण अनियमित विद्युत संयोजन के सापेक्ष राजस्व निर्धारण का है जिसमें निर्धारित राशि रू0 209882.00 का वादी द्वारा दिनांक– 12.03.2025 को भुगतान कर दिया गया है और अब प्रकरण में आगे की कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – **26.03.2025**

ओ0पी0 दीक्षित	बी0 एस0 बिष्ट	चामू सिंह गर्ब्याल
सदस्य तकनीकी	सदस्य उपभोक्ता	सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–231 / 2024–25

श्री भीम सिंह,
ग्राम– मनॉऊ, पो0ऑ0–गेवापानी,
जिला– अल्मोडा। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा। — प्रतिवादी

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर21554002055 के सापेक्ष वादी का बिल 200 से 300 रू0 आता था। वादी का कहना है कि उनके बिल को पूर्व के खर्चे के हिसाब से संशोधित करने की कृपा करें। उनका कहना है कि वह एक बीपीएल0 परिवार से हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 807 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

3. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से श्री भीम सिंह तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री जीवन जोशी, का0सहा0 द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के बिल सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक आरडीएफ0 आधार पर निर्गत किये गये थे जिसको अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक सिस्टम द्वारा संशोधित कर दिया गया है और अब संशोधित बिल 4025 बनता है। वादी का कहना है कि विगत में उनके बिल 100–200–300 प्रतिमाह के आधार पर आते रहे हैं और इतना बिल आना उचित नहीं है। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मैन मीटर सही पाया गया जिससे वादी संतुष्ट नहीं है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह मीटर की एमआरआई0 कराकर विस्तृत आख्या 7 दिन के अन्दर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई की तिथि 26.03.2025 को नियत की गई थी।

परिवाद संख्या–231 / 2024–25

2 .मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 26.03.2025 में वादी की तरफ से श्री भीम सिंह तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री तुषार चौहान, एईआर0 उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मंच के निर्देशानुसार मीटर की एमआरआई0 सम्भव नहीं हो पायी है। बिलिंग हिस्ट्री देखने से प्रतीत होता है कि वादी कि बिल सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक आरडीएफ0 के आधार पर निर्गत किये गये हैं तथा जनवरी 2025 का बिल 2 का यूनिट निर्गत किया गया है जबकि फरवरी 2025 का बिल 730 यूनिट का निर्गत किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि 730 यूनिट का बिल डंप रीडिंग का है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि डंप रीडिंग को संबंधित अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टेरिफ स्लैब का लाभ देते हुए 15 दिन के अन्दर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध करायें जिसको वादी द्वारा 15 दिन के अन्दर जमा किया जाएगा।

आदेश

यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है जिसमें विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह डंप रीडिंग को संबंधित अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ स्लैब का लाभ देते हुए संशोधित बिल वादी को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें तत्पश्चात उपरोक्त पर अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी को कहा जाता है कि वह संशोधित बिल प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर, बिल का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 26.03.2025

ओ0पी0 दीक्षित	बी0 एस0 बिष्ट	चामू सिंह गर्ब्याल
सदस्य तकनीकी	सदस्य उपभोक्ता	सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–232 / 2024–25

श्री पूरन सिंह लटवाल,
निवासी– होटल करन लोधिया,
जिला– अल्मोडा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा। प्रतिवादी

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके छज्जे के पास से एलटी0 लाइन गुजर रही है जिससे जान माल का खतरा बना रहता है उन्होंने यह भी बताया कि लाईन की शिफ्टिंग के लिए स्थानीय विधायक ने आवश्यक धनराशि भी दे दी है। उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिगत लाईन को अविलम्ब हटाने का अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 808 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के छज्जे से लाईन को हटा दिया गया है जिसकी पुष्टि वादी से फोन पर कर ली गई है।

आदेश

3. विभाग द्वारा वादी के छज्जे से लाईन को हटा दिया गया है जिसकी पुष्टि वादी से फोन पर कर ली गई है।

वाद सं० 237/2024-25

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – **17.03.2025**

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

बी0 एस0 बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता

चामू सिंह गर्ब्याल
सदस्य न्यायिक